


न्यायालय अंचल अधिकारी, कोडरमा ।

भूमि सत्यापन अभिलेख संख्या.....५५५/२०२३

आवेदक रधुनन्दन प्रसाद पिता स्व० अकल प्रसाद, साकिन-राजपुर, पोस्ट-अकबरपुर, थाना-अकबरपुर, जिला-नवादा (बिहार) द्वारा निम्न भूमि विवरण की भूमि का बिक्री करने के लिए सत्यापन हेतु आवेदन दिया गया है :-

मौजा	थाना नं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकवा	किस्म
गुमो	12	108	1814	4.50 डी०	रैयती

अतः मूल आवेदन पत्र हल्का राजस्व उप निरीक्षक को हस्तगत कराये एवं जाँच प्रतिवेदन अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्राप्त करें। साथ ही आम इश्तेहार निर्गत करें। अभिलेख दिनांक ...12.../.....09.../2023 को प्रस्तुत करें।



अंचल अधिकारी,
कोडरमा।

अभिलेख उपस्थापित।

आम इश्तेहार का तामिला प्राप्त। किसी के द्वारा आपत्ति नहीं की गयी है।

हल्का राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक द्वारा जाँचोपरान्त प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा-गुमो, थाना नं०-12, खाता सं०-108, प्लॉट सं०-1814, रकवा-0.50 डी० भूमि रधुनन्दन प्रसाद पिता स्व० अकल प्रसाद के नाम से पंजी-॥ के पृष्ठ सं०-23 भाग सं०-62 पर जमाबन्दी दर्ज है। प्राधिकार क्षेत्र में दा० खा० वाद सं०-4271/2020-21 दर्ज है। उक्त भूमि केवाला सं०-3904 दिनांक-02.07.2015 द्वारा प्राप्त है। भूमि रैयती खाते की है। शपथ पत्र सं०-10 दिनांक-10.07.2023 (नोटरी पब्लिक, कोडरमा) की मूल प्रति संलग्न किया गया है।

यद्यपि निबंधन के उपरान्त भी Bihar Tenants Holding (Maintenance of Records) Acts 1973 के अन्तर्गत प्राप्त नामांतरण का अधिकार अंचल अधिकारी के न्यायालय का सुरक्षित रखेगा एवं नामान्तरण के पूर्व अगर कोई वैध आपत्ति होती है तो विधि सम्मत निर्णय लेने के लिए अंचल अधिकारी का न्यायालय स्वतंत्र होगा।


अंचल अधिकारी,
कोडरमा